जल की निकासी सुनिश्चित कर सिल्ट व मलबा हटाने के निर्देश

कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने 12 गांवों का किया दौरा

संवाद सूत्र, जागरण, पुरकाजी: कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने हाल ही में भारी बरसात के कारण प्रभावित गांवों हरेटी, लखनौती और सलमेपुर सहित 12 से अधिक गांवों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर जाकर किसानों की समस्याओं का जायजा लिया। किसानों ने मंत्री को बताया कि बरसात के पानी से फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण नालों की सफाई न होना है।

हरेटी गांव में किसानों से वार्ता करते कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ● जागरण

किसानों ने शिकायत की कि गांव के नाले की सफाई नहीं होने के कारण जल निकासी में समस्या आ रही है। इस बार अत्यधिक बरसात के कारण फसलों में बीमारी फैलने और नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है। मंत्री ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जल निकासी सुनिश्चित की जाए और भैसानी रजवाहे के नीचे पुलिया में जमा सिल्ट व मलबा हटाया जाए। राठी, सुरेंद्र राठी, विवेक राठी, विपिन राठी उर्फ राजू राठी, जोगिंदर राठी आदि उपस्थित रहे। मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा।

गली–मुहल्लों और रोड पर जलभराव

संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली: झमाझम बरसात से शहर के अनेक गली–मुहल्लों व मेन रोड पर जलभराव हो गया। वर्षा ने गर्मी से राहत दी।

जलभराव व कीचड़ से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन फिसलकर गिरने से लोग चोटिल हो गए। शुक्रवार सुबह बादलों ने डेरा डाले रखा। इसके बाद मौसम से करवट बदली और बूंदों के साथ वर्षा शुरू हुई।

बरसात से बचने के लिए लोगों को दुकानों व उनके आसपास छिपना पड़ा। मेन रोड, सैनीनगर, रेलवे रोड, पालिका रोड, इस्लामनगर, होली चौक, नई आबादी, गणेशपुरी, तहसील मार्ग, जैननगर, नेहरू नगर में जलभराव हुआ। जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बरसात के कारण व्यापारियों का व्यापार प्रभावित रहा।

खादर के किसानों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार को बताई समस्याएं

संवाद सूत्र, जागरण पुरकाजी: खानपुर विधायक उमेश कुमार को किसानों ने सोलानी नदी के पानी से बर्बाद हुई फसलों के बारे में जानकारी दी। विधायक ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के अधिकारियों से वार्ता कर समाधान करने का आश्वासन दिया है।

शुक्रवार को खादर के गांव भदौला में किसान सरदार गुरमेल सिंह बाजवा के आवास पर हरिद्वार के खानपुर विधायक उमेश कुमार पहुंचे। किसानों ने विधायक को समस्या बताते हुए कहा कि सोलानी नदी में अत्यधिक पानी आने के कारण कई जगह से किसानों के खेतों में पानी घुस गया है। इस कारण किसानों की ईख व धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ता है। इस कारण किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है।

गांव भदौला में विधायक उमेश कुमार को जानकारी देते किसान ● जागरण

उत्तराखंड से ज्यादा यूपी के किसानों का नुकसान होता है। उन्होंने विधायक से नदी किनारे लोहे की जाली व पत्थर की पैचिंग लगवाने की मांग रखी। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के अधिकारियों से वार्ता कर इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सरदार बलकार सिंह, नरेंद्र सिंह, गुरलाल सिंह, कुलदीप सिंह, गुरनाम सिंह, ऋषिपाल, जसविंद्र सिंह ज्ञानी आदि मौजूद रहे।

बरसात के चलते घर का बड़ा हिस्सा ढहा

संवाद सूत्र, जागरण, भोपा: तीर्थनगरी शुकतीर्थ की परमधाम कालोनी में शुक्रवार सुबह बरसात के पानी का तेज बहाव कहर बनकर टूटा।

भोपा थाना क्षेत्र की तीर्थनगरी शुकतीर्थ स्थित परमधाम कालोनी में खोले के किनारे दिनेश शर्मा का मकान है। इसमें बिजनौर निवासी दो भाई अमित और उपेंद्र अपने परिवार के साथ किराये पर रहते हैं। अमित अपनी पत्नी अर्चना और डेढ़ वर्षीय बेटे दक्ष के साथ तथा उपेंद्र अपनी पत्नी पूजा और बेटे कृष्णा के साथ मकान में रह रहे हैं। शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद खोले में पानी का बहाव बढ़ गया। पानी की तेज धार मकान की दीवार से टकराई और देखते ही देखते दीवार, रसोई तथा शौचालय ढह गए। दीवार और अन्य हिस्से गिरने की आवाज सुनकर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, दोनों भाई अपने परिवार के साथ कमरे में थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

हादसे में कृषि विभाग के कर्मचारी की मौत

संवाद सूत्र जागरण, तितावी: लालूखेड़ी पुल के ऊपर गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 28 वर्षीय प्रशांत मलिक पुत्र हरपाल सिंह निवासी तलवा माजरा, थाना बाबरी, शामली के रूप में हुई।

प्रशांत मलिक

गुरुवार रात लालूखेड़ी पुल के पास प्रशांत की बाइक क्षतिग्रस्त हालत में डिवाइडर के पास पड़ी मिली।

वहीं, कुछ दूरी पर प्रशांत गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला। बताया गया कि प्रशांत अपने दोस्त के बेटे के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बाद बाइक से अपने गांव लौट रहा था।

प्रशांत परिवार में तीन बहनों का इकलौता भाई था। तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। पिता हरपाल सिंह की मृत्यु के बाद प्रशांत को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिली थी। वह पहले विकास भवन में कार्यरत था।

इसके बाद उसका स्थानांतरण कृषि विभाग में कर दिया गया था। युवक की असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शुक्रवार को गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मीरापुर की कान्हा गोशाला में धूमधाम से मनाया गो उत्सव

संवाद सूत्र, जागरण, मीरापुर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मीरापुर की कान्हा गोशाला में गो उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल रहे, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गऊ पूजन किया।

राज्यमंत्री का मीरापुर पहुंचने पर चेयरमैन जमील अहमद, गो सेवक अभिषेक गर्ग, अमित मित्तल और पूर्व चेयरमैन नवीन सैनी ने उनका स्वागत किया। राज्यमंत्री ने यजमान बनकर गऊ पूजन किया, जबकि पं. अनिल शास्त्री ने मंत्रोच्चार से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद गोवंश को गुड़, हरा चारा और फल खिलाए गए तथा आरती की गई।

मीरापुर की कान्हा गोशाला में गोवंश को गुड़ खिलाते राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ● जागरण

कार्यक्रम में उपस्थित महिला और पुरुष गो सेवकों ने गोवंश की रक्षा का संकल्प लिया। राज्यमंत्री ने कहा कि जन्माष्टमी पर गो सेवा का अवसर मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने मीरापुर नगर पंचायत द्वारा संचालित कान्हा गोशाला की सराहना की।

गो सेवक अभिषेक गर्ग ने बताया कि नगर के लगभग 280 लोग वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गोशाला का सहयोग करते हैं। गोशाला की प्रबंध समिति गोवंश के चारे और पशु आहार की व्यवस्था के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। राज्यमंत्री ने गोशाला में सहयोग के लिए 11 हजार रुपये की राशि प्रदान की। कार्यक्रम में एसडीएम रश्मि लाम्बा, नायब तहसीलदार अजय कुमार, ईओ नीलम पाण्डेय, सतीश तरीका, अमित मित्तल, डा. आरके पाराशर आदि उपस्थित रहे।

कैंप में फैमिली आइडी बनवाने के प्रति किया जागरूक

पुरकाजी: कस्बे में निश्शुल्क फैमिली आइडी कैंप का आयोजन किया गया। पूर्व चेयरमैन तारिक मुस्तफा के आवास पर समाजसेवी दानियाल मुस्तफा के नेतृत्व में शुक्रवार को फैमिली आइडी कैंप का आयोजन किया गया। सैयद तनीश अहमद ने बताया कि इस दौरान कस्बे के लोगों ने कैंप में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

पांच नलकूपों पर चोरी

संवाद सूत्र, जागरण, चरथावल: पिलखनी गांव में बदमाशों ने एक ही रात में पांच किसानों के नलकूपों को निशाना बनाकर सबमर्सिबल मोटर व केबल चोरी कर लिया। सुबह खेतों पर पहुंचे किसानों को चोरी की जानकारी हुई तो उनमें आक्रोश फैल गया। एक साथ पांच नलकूपों से मोटर चोरी होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

गांव पिलखनी निवासी अश्वनी, वीर सिंह, यशपाल व अंकित टांडा सहित पांच किसानों के नलकूपों के कमरों के ताले तोड़कर रात में बदमाशों ने सबमर्सिबल, केबल व बिजली के हजारों रुपयों के अन्य उपकरण चोरी कर लिए। नलकूपों पर हुई चोरी का पता उस समय लगा जब किसान पशुओं के लिए चारा लेने जंगल में गए। किसानों का कहना है कि उनके नलकूपों से हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं, मोटर चोरी होने से खेतों की सिंचाई भी प्रभावित हो गई है। थाना प्रभारी सत्यनारायण दहिया का कहना है कि जल्द राजफाश होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ब्रांचः रूड़की रोड, मुजफ्फरनगर
ई–मेलः m0256@psb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अंतर्गत (नियम 8 (1))

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 तथा सिक्योरिटी इन्सट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब एण्ड सिंघ बैंक ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों के नाम के सामने दर्शाये गए खातें में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के प्राप्ति के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा उनके खाते के सामने दी गई तारीख पर ले लिया है। ऋणी/ऋणियों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन पंजाब एण्ड सिंघ बैंक, रूड़की रोड, मुजफ्फरनगर शाखा को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र0 सं0	शाखा एवं ऋणकर्ता/गारन्टर के नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	बकाया राशि
1.	ब्रांचः रुडकी रोड, मुजफ्फरनगर नईमुद्दीन पुत्र हसनुद्दीन निवासी मोहल्ला रामपुरी सेक्टर 1 सेक्टर 1 (मोहल्ला रहमानिया) शाहबुदीनपुर रोड तहसील और जिला मुजफ्फरनगर (उधारकर्ता /बंधककर्ता) और श्रीमती। फरीदा पत्नी नईमुद्दीन निवासी मोहल्ला रामपुरी सेक्टर 1 (मोहल्ला रहमानिया) शाहबुदीनपुर रोड, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर (सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता) और मोहम्मद सरफराज पुत्र मोहम्मद गुफरान निवासी मकान संख्या 392 महमूद नगर मुजफ्फरनगर, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर (गारंटर)	समस्त प्रॉपर्टी जिसका क्षेत्रफल 132.42 वर्ग मीटर जो मोहल्ला रामपुरी सेक्टर 1 (मोहल्ला रहमानिया), शाहबुद्दीनपुर रोड, खसरा नंबर 307/1 (परगना, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर) में स्थित है। यह प्रॉपर्टी सब–रजिस्ट्री ऑफिस सदर द्वितीय मुजफ्फरनगर में बही नंबर 1, जिल्द नंबर 6660, पेज नंबर 29 से 74 पर सीरियल नंबर 5093 दिनांक 24–05–2016 के तहत रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः निसार अहमद का प्लॉट, दक्षिणः 12 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्वः श्रीमती सगीर फात्मा का घर, पश्चिमः किसी अन्य व्यक्ति का घर।	04-02-2025 कब्जे की तारीख 02-09-2026	रू0 19,68,918.25 31.08.2026 तक + 01.09.2026 से बैंक द्वारा किए गए ब्याज और आकस्मिक खर्च
2.	ब्रांचः रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर श्री सुरेश पाल पुत्र रणधीर सिंह निवासी हरिपुरम, कुकडा, तहसील, परगना सदर जिला मुजफ्फरनगर (बबली के उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी), श्री अनिल पुत्र रणधीर निवासी 654, गांधीनगर, कुकडा, तहसील, परगना सदर जिला मुजफ्फरनगर (सह–उधारकर्ता), श्रीमती सुमन पत्नी अनिल निवासी गांधीनगर, नई मंडी, कुकडा, तहसील, परगना सदर जिला मुजफ्फरनगर (सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता), श्री चेतन पुत्र सुरेश पाल निवासी हरिपुरम, कुकरा, तहसील, परगना सदर जिला मुजफ्फरनगर (बबली का कानूनी उत्तराधिकारी), कुमारी ज्योति पुत्री सुरेश पाल निवासी हरिपुरम, कुकडा, तहसील, परगना सदर जिला मुजफ्फरनगर (बबली के कानूनी उत्तराधिकारी), कुमारी बीना पुत्री सुरेश पाल निवासी हरिपुरम, कुकडा, तहसील, परगना सदर जिला मुजफ्फरनगर (बबली का कानूनी उत्तराधिकारी), कुमारी हिमानी पुत्री सुरेश पाल निवासी हरिपुरम, कुकडा, तहसील, परगना सदर जिला मुजफ्फरनगर (बबली के कानूनी उत्तराधिकारी) और श्री तेजपाल सिंह पुत्र शोभाराम निवासी म.नं. 1611, जनकपुरी, तहसील एवं परगना सदर जिला मुजफ्फरनगर (गारंटर)	श्रीमती सुमन पत्नी अनिल और स्वर्गीय श्रीमती बबली की प्रॉपर्टी (प्लॉट नंबर 95 और 96, खसरा नंबर 89/1, कुकडा, परगना, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर) प्रॉपर्टी नंबर 1. सब–रजिस्ट्रार सदर मुजफ्फरनगर के यहाँ बही नंबर 1, जिल्द नंबर 6934, पेज नंबर 33 से 48 पर सीरियल नंबर 4634 तारीख 11.04.2012) में रजिस्टर्ड। प्रॉपर्टी की सीमाएँः पूर्वः किसी और व्यक्ति का प्लॉट, पश्चिमः 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः ब्रह्मवती का प्लॉट, दक्षिणः बबली का प्लॉट। और प्रॉपर्टी नंबर 2. सब–रजिस्ट्रार सदर मुजफ्फरनगर के यहाँ बही नंबर 1, जिल्द नंबर 6934, पेज नंबर 49 से 64 पर सीरियल नंबर 4635 तारीख 11.04.2012 में रजिस्टर्ड। प्रॉपर्टी की सीमाएँः पूर्वः किसी और व्यक्ति का प्लॉट, पश्चिमः 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः सुमन का प्लॉट, दक्षिणः सीताराम का प्लॉट।	21-05-2026 कब्जे की तारीख 02-09-2026	रू0 9,88,945.06 31.08.2026 तक + 01.09.2026 से बैंक द्वारा किए गए ब्याज और आकस्मिक खर्च

दिनांकः 05.09.2026 स्थानः मुजफ्फरनगर प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंघ बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ..... भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ... the name you can BANK upon!

ARMB: सर्किल कार्यालय भवन #प्लॉट नं. 01, शाकुंतलम आवास विकास कॉलोनी सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर (यू.पी.) E-Mail: cs8284@pnb.bank.in

परिशिष्ट - IV-A [नियम 8 (6) SARFAESI, 2002 का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना -

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पढ़ा जाए। इसके द्वारा आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/भारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा (EMD) संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होंगे।

सुरक्षित आस्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटरों का नाम और पता	गिरवी रखी गई चल और अचल संपत्ति का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति/संपत्तियों के गिरवी रखने वाले)	A) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख B) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि C) 30.04.2026 तक वर्तमान बकाया राशि D) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख E) कब्जे का प्रकारः सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	a) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) b) EMD c) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	भारों का विवरण जो सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात हैं
1.	1. श्री अकरम पुत्र श्री असगर (उधारकर्ता) 2. श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह (गारंटर) 3. मो. अशफाक पुत्र श्री सईद अहमद (गारंटर) बीओः जलालाबाद SOL ID: 071000	श्री अकरम पुत्र श्री असगर के नाम पर आवासीय मकान, जो खसरा नंबर 1189, गाँव हसनपुर लुहारी, जलालाबाद, परगना थानाभवन, तहसील शामली, जिला शामली, यूपी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 327.60 वर्ग मीटर है। यह प्रॉपर्टी 29.12.2018 को सब–रजिस्ट्रार शामली के ऑफिस में बही 1, वॉल्यूम नंबर 6292, पेज नंबर 199 से 222 पर सीरियल नंबर 14489 पर रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः प्लॉट सऊद, पश्चिमः प्लॉट अकरम और इरफान, उत्तरः 5 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः प्लॉट हनीफ और मस्जिद।	A) 04.07.2024 B) Rs. 35,82,115.55 दिनांक 31.05.2024 तक + ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 44,12,213.55 + 01.08.2026 से ब्याज + कानूनी व अन्य खर्च D) 21.09.2024 E) सांकेतिक कब्जा	a) 42.30 लाख रुपये b) 4.23 लाख रुपये c) 0.50 लाख रुपये	24.09.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
2.	1. मेसर्स अनुराग ट्रेडिंग प्रो. अनुराग त्यागी (उधारकर्ता) 2. श्री अनुराग त्यागी पुत्र श्री हरिओम त्यागी (उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर) 3. श्रीमती अवि त्यागी पत्नी श्री अनुराग त्यागी (गारंटर) बीओः कोर्ट रोड मुजफ्फरनगर SOL ID: 182100	श्री अनुराग त्यागी पुत्र श्री हरिओम त्यागी के नाम पर कमर्शियल प्रॉपर्टी नंबर 83/83 (नया नंबर 41–डी), सेवक आश्रम रोड, नगर निगम क्षेत्र देहरादून, जिसका क्षेत्रफल 115.29 वर्ग मीटर है। यह प्रॉपर्टी सब–रजिस्ट्रार देहरादून के ऑफिस में बही नंबर 1, जिल्द नंबर 8304, पेज नंबर 273 से 298, रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर 1249 दिनांक 10.03.2023 पर रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः श्री रावत और अन्य की प्रॉपर्टी, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः श्री शम्मी मोहन की प्रॉपर्टी, दक्षिणः श्री ओंकार सिंह त्यागी की प्रॉपर्टी। नोटः प्रॉपर्टी की सीमाएँ तय नहीं हैं। यह प्रॉपर्टी एक दूसरी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई है।	A) 03.11.2025 B) Rs. 88,31,361.82 दिनांक 31.10.2025 तक + ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 93,73,202.63 + 01.08.2026 से ब्याज + कानूनी व अन्य खर्च D) 19.01.2026 E) सांकेतिक कब्जा	a) 90.00 लाख रुपये b) 9.00 लाख रुपये c) 1.00 लाख रुपये	24.09.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
3.	1. हैदर अली खान पुत्र आसिफ अली खान (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 2. जैबा खान पत्नी आसिफ अली खान (सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता) 3. अजमत अली पुत्र शौकत अली (गारंटर) बीओः बघरा SOL ID: 476400	हैदर अली खान पुत्र आसिफ अली खान और जैबा खान पत्नी आसिफ अली खान के नाम पर मकान, जिसका क्षेत्रफल 129.30 वर्ग मीटर है। यह मकान नंबर 96/28, मोहल्ला कृष्णापुरी, साउथ खलापार, मुजफ्फरनगर में स्थित है। सेल डीड के अनुसार सीमाएँ: पूर्वः मो. आरिफ का मकान, पश्चिमः दूसरों की प्रॉपर्टी, उत्तरः दूसरों की प्रॉपर्टी, दक्षिणः 12'3' चौड़ी सड़क।	A) 29.11.2022 B) Rs. 13,17,223.00 दिनांक 01.11.2022 तक + ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 18,32,948.00 + 01.08.2026 से ब्याज + कानूनी व अन्य खर्च D) 03.03.2023 E) सांकेतिक कब्जा	a) 26.50 लाख रुपये b) 2.65 लाख रुपये c) 0.30 लाख रुपये	24.09.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
4.	1. मेसर्स शुद्ध वेल्ली आइसक्रीम प्रोप. हैदर अली खान (उधारकर्ता) 2. हैदर अली खान पुत्र आसिफ अली खान (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 3. जैबा खान पत्नी आसिफ अली खान (सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता) 4.अजमत अली पुत्र शौकत अली(गारंटर) बीओः बघरा SOL ID: 476400	जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसे हैदर अली खान और जैबा खान के हाउसिंग लोन के लिए गिरवी रखा गया है।	A) 08.10.2021 B) Rs. 9,47,991.10 दिनांक 30.09.2021 तक + ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 13,76,830.10 + 01.08.2026 से ब्याज + कानूनी व अन्य खर्च D) 27.12.2021 E) सांकेतिक कब्जा			
5.	1. कुमारी नीतिशा भारद्वाज पुत्री कैलाश चंद (श्रीमती शशि प्रभा उधारकर्ता/बंधककर्ता की कानूनी उत्तराधिकारी) 2. श्रीमती माधुरी वर्मा पत्नी श्री राजेंद्र (गारंटर) बीओः एमएमजी शामली SOL ID: 182200	स्वर्गीय श्रीमती शशि प्रभा पत्नी स्व. श्री कैलाश चंद के नाम पर आवासीय घर, जो खसरा नंबर 222 और 223, मोहल्ला नई मंडी, ब्लॉक के पास, शामली परगना, तहसील और जिला शामली में स्थित है, कुल क्षेत्रफल 100.37 वर्ग मीटर है (6.69 वर्ग मीटर पहले ही बेचा जा चुका है)। गिरवी रखा गया क्षेत्रफल 93.68 वर्ग मीटर है, जैसा कि सेल डीड नंबर 6956 में बताया गया है। यह डीड 05.06.2013 को सब–रजिस्ट्रार शामली के ऑफिस में बही 1, वॉल्यूम नंबर 3555, पेज नंबर 375 से 398 में रजिस्टर हुई थी। 100.37 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली पूरी प्रॉपर्टी की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः जगमेर सिंह आदि का प्लॉट, उत्तरः श्रीमती गुड्डी और श्रीमती राजेश का प्लॉट, दक्षिणः जगमेर सिंह आदि का प्लॉट।	A) 03.09.2025 B) Rs. 24,45,123.30 दिनांक 31.08.2025 तक + ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 26,30,845.30 + 01.08.2026 से ब्याज + कानूनी व अन्य खर्च D) 05.12.2025 E) सांकेतिक कब्जा	a) 33.10 लाख रुपये b) 3.31 लाख रुपये c) 0.40 लाख रुपये	24.09.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
6.	1. श्रीमती तबस्सुम पत्नी मो. इरशाद अहमद (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 2. मो. इरशाद अहमद पुत्र इकबाल अहमद (सह–उधारकर्ता) 3. वकील पुत्र बशीर खान (गारंटर) 4. मो. शुएब अब्बासी पुत्र मो. आरिफ (गारंटर) बीओः एमएमजी शामली SOL ID: 182200	श्रीमती तबस्सुम पत्नी मो. इरशाद के नाम पर आवासीय प्लॉट, कुल क्षेत्रफल 121.37 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 4661, नई आबादी, पंसारियान मोहल्ले से आगे कृषि भूमि की ओर, आवासीय कस्बा शामली, परगना और तहसील शामली और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित। यह सेल डीड नंबर 9692 के अनुसार है, जो 10.11.2009 को सब–रजिस्ट्रार शामली के यहाँ रजिस्टर हुई थी (बही नंबर 1, जिल्द नंबर 1979, पेज नंबर 55–72)। प्रॉपर्टी की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः कय्यूम का प्लॉट, उत्तरः बिलकिस बानो का प्लॉट, दक्षिणः बेचने वाले का प्लॉट।	A) 27.08.2025 B) Rs. 27,29,282.00 दिनांक 01.03.2025 तक + ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 31,03,264.00 + 01.08.2026 से ब्याज + कानूनी व अन्य खर्च D) 06.11.2025 E) सांकेतिक कब्जा	a) 19.00 लाख रुपये b) 1.90 लाख रुपये c) 0.20 लाख रुपये	24.09.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें

यह बिक्री 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002' में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी, और साथ ही निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के भी अधीन होगी:
1. संपत्तियों की बिक्री **'जैसी है, जहाँ है', 'जैसी है, वैसी है', और 'जो कुछ भी है, उसी आधार पर'** के आधार पर की जा रही है।
2. ऊपर दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार यथासंभव सही दिया गया है, तथापि, इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान, या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपरोक्त दिनांक को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक संपन्न की जाएगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com देखें।

दिनांकः 03.09.2026 स्थानः मुजफ्फरनगर प्राधिकृत अधिकारी (पंजाब नैशनल बैंक)

शोक संदेश

मान्यवर, अत्यन्त दुःख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय श्री गिरीश मोहन जी का स्वर्गवास दिनाँक 26 अगस्त 2026 को हो गया है। प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। उनकी तेरहवीं दिनाँक 6 सितंबर 2026 को होनी निश्चित हुई है।

श्री गिरीश मोहन जी (01.07.1947-26.08.2026)

! कार्यक्रम स्थल !
रविवार, 6 सितंबर 2026
ब्रह्मभोज - प्रातः 12:00 बजे (स्थान-निज निवास)
रस्म पगड़ी - दोपहर 3:00 बजे (स्थान-तरु कुंज)

शोकाकुल परिवार:
श्रीमती शशि गुप्ता (पत्नी)
नितिन-विनी (पुत्र-पुत्रवधु) | अंकिता - राजीव (पुत्री-दामाद)
एवं समस्त माँगलिक परिवार मो. : 82794 81046, 93684 04900
निवास - 13, तरु कुंज, गढ़ रोड, मेरठ

शोक संदेश

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती आदर्श खन्ना जी** धर्मपत्नी स्व0 श्री वेदपाल खन्ना जी का स्वर्गवास दिनांक 27 अगस्त 2026 दिन गुरूवार को हो गया था। प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। दिवंगत आत्मा की शान्ति हेतु आरिष्टी दिनांक 06 सितम्बर 2026 पर होनी निश्चित हुई है।

ब्रहम भोज : दोपहर 12:00 बजे | शोक सभा : दोपहर 02:00 बजे
स्थानः उत्सव मण्डप, मवाना, मेरठ

शोकाकुल परिवार :
डॉ0 अनिल खन्ना–डॉ0 पदमामलिका खन्ना (पुत्र–पुत्रवधु)
डॉ0 प्रवीन मित्तल–संजय मित्तल (पुत्री–दामाद)
गौरव आशीष खन्ना, दिव्य अरूप खन्ना (पौत्र)
डॉ0 तानिया मित्तल राय (धेवती), रोहन मित्तल (धेवता)

52 वीं पुण्यतिथि
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह
हमारे पूजनीय भाई

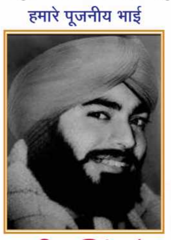

सरदार रणजीत सिंह (उर्फ जीता)
(5 सितम्बर 1972)
हम सभी परिवार आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं...

रघुबीर सिंह (भाई) कवनीत सिंह (भतीजा)
चरणजीत कौर (भाभी) गगनप्रीत सिंह (भतीजा)
अमरजीत सिंह (भतीजा) रविंदर कौर (बहन)
अमनप्रीत सिंह (भतीजा) एवं समस्त छाबड़ा परिवार

होटल शेरे पंजाब भैसाली बस अड्डे के सामने मेरठ।
मोबाइल: 9368492259, 7467847968